न्यायालय सत्र न्यायाधीश, फतेहपुर।

दाण्डिक प्रकीर्ण वाद संख्या 167 सन 2026

(CNR No. UPFT-01002320 2026)

राजन तिवारी – बनाम –राज्य एवं अन्य

08.07.2026:

स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र 3–अ पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना तथा सम्बन्धित न्यायालय से प्राप्त आख्याओं का अवलोकन किया। विपक्षीगण से कोई उपस्थित नहीं आया।

आवेदक राजन तिवारी की ओर से प्रार्थनापत्र 3–अ इस आशय के तथ्यों का प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक एन०सी०आर० संख्या 32 सन 2021 में अभियुक्त है, जो वर्तमान समय में विद्वान अपर सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय संख्या–4 फतेहपुर के न्यायालय में आपराधिक वाद संख्या 25236 सन 2021 राज्य प्रति अभिषेक उर्फ आशू तिवारी आदि अपराध संख्या 44 सन 2021 धारा 323, 504, 325 भारतीय दण्ड संहिता थाना जापरुगंज के रुप में विचाराधीन है तथा इससे सम्बन्धित क्रास केस, जिसमें आवेदक वादी मुकदमा है, वह एन०सी०आर० संख्या 31 सन 2021 अपराधिक वाद संख्या 651 सन 2025 राज्य प्रति नारायण प्रसाद आदि धारा 323, 504 भारतीय दण्ड संहिता थाना जाफरगंज जिला फतेहपुर न्यायालय न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय बिन्दकी फतेहपुर में विचाराधीन है। उक्त दोनों मामले क्रास केस है, इसलिए उनका निस्तारण एक साथ किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतएव उक्त दोनों मामलों के एक साथ निस्तारण हेतु उन्हें अपर सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय संख्या–4 फतेहपुर के न्यायालय में स्थानान्तरित करने की याचना की गयी है।

न्यायालय अपर सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय संख्या–4 फतेहपुर से प्राप्त आख्या के अनुसार राज्य प्रति अभिषेक तिवारी आदि अपराध संख्या 44 सन 2021 धारा 323, 504, 325 भारतीय दण्ड संहिता थाना जापरुगंज की पत्रावली उनके न्यायालय में लम्बित है। इसी प्रकार न्यायालय न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय बिन्दकी फतेहपुर से प्राप्त आख्या के अनुसार एन०सी०आर० संख्या 31 सन 2021 अपराधिक वाद संख्या 651 सन 2025 राज्य प्रति नारायण प्रसाद आदि धारा 323, 504 भारतीय दण्ड संहिता थाना जाफरगंज जिला फतेहपुर उनके न्यायालय में लम्बित है।

आवेदक की ओर से स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर न्यायालय अपर सिविल

जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय संख्या–4 फतेहपुर में लम्बित वाद संख्या 25236 सन 2021 राज्य प्रति अभिषेक तिवारी आदि अपराध संख्या 44 सन 2021 धारा 323, 504, 325 भारतीय दण्ड संहिता थाना जाफरगंज फतेहपुर व न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय बिन्दकी फतेहपुर के न्यायालय में लम्बित एन०सी०आर० संख्या 31 सन 2021 अपराधिक वाद संख्या 651 सन 2025 राज्य प्रति नारायण प्रसाद आदि धारा 323, 504 भारतीय दण्ड संहिता थाना जाफरगंज जिला फतेहपुर को आपस में क्रास केस होने के कारण उन्हें समुचित निस्तारण हेतु अपर सिविल जज (जू०डि०)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय संख्या–4 फतेहपुर के न्यायालय में स्थानान्तरित करने की याचना की है। चूँकि उक्त दोनों दाण्डिक मामलों को एक दूसरे से सम्बन्धित एवं क्रास होना कहा गया है। ऐसी स्थिति में मामले के सम्पूर्ण तथ्य व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक राजन तिवारी की ओर से प्रस्तुत स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र 3–अ स्वीकार किया जाता है। न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय बिन्दकी फतेहपुर के न्यायालय में लम्बित एन०सी०आर० संख्या 31 सन 2021 अपराधिक वाद संख्या 651 सन 2025 राज्य प्रति नारायण प्रसाद आदि धारा 323, 504 भारतीय दण्ड संहिता थाना जाफरगंज जिला फतेहपुर की पत्रावली को विधि अनुसार सुनवाई एवं निस्तारण हेतु अपर सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय संख्या–4 फतेहपुर के न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

दिनांक: 08.07.2026

(सुधीर कुमार–V)
सत्र न्यायाधीश,
फतेहपुर।

SUDHIR KUMAR
Digitally signed by SUDHIR KUMAR
Date: 2026.07.08 16:26:45 +05'30'